डा0 राजकुमार विश्वकर्मा
आई.पी.एस.

डीजी परिपत्र सं0–15/2023
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
लखनऊ – 226002
दिनांक : 06 मई, 2023

विषयः शातिर, भगोड़े, माफिया, जनपदीय टॉप–10 अपराधियों के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 174ए के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही अमल में लाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

शासन द्वारा प्रदेश में अपराधियों के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी गई है, जिसके अन्तर्गत ऐसे अपराधी जो अपराध करने के पश्चात् फरार हो गये हैं और न्यायालय द्वारा आदेशिका जारी किये जाने तथा उन्हें मफरूर (फरार) घोषित किये जाने के बावजूद वे न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं तथा कानूनी प्रक्रिया से बचने का प्रयास कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर से कठोरतम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

आप समस्त अवगत हैं कि दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा भा0द0सं0 1860 में एक नवीन प्रावधान धारा 174ए की रूप में समावेशित किया गया है, जो द0प्र0सं0 की धारा 82 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी होने के पश्चात् उद्घोषित अपराधी द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान व समय पर हाजिर न होने को संज्ञेय व गैर जमानती अपराध घोषित करता है। इस धारा के प्रवर्तन के पश्चात विगत वर्षों में थानों पर ऐसे फरार / उद्घोषित अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 174ए भा0द0वि0 के अभियोग पंजीकृत कराये गये हैं और विवेचनोपरान्त सक्षम न्यायालय में ऐसे मामले में आरोप पत्र भी प्रेषित किये गये हैं, परन्तु विवेचकों द्वारा उक्त धारा का आरोप पत्र लगाते समय विवेचना में कतिपय विधिक त्रुटियां कर देने के कारण न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन द्वारा उक्त अपराध साबित नहीं किये जाने के कारण अभियुक्त दोषमुक्त हो जाते हैं।

दृष्टांतस्वरूप जनपद बिजनौर के थाना स्योहारा में मु0अ0सं0 166/2016 धारा 302, 120बी, 34 भा0द0सं0 राज्य बनाम मुनीर व अन्य के मामले में प्रदेश पर चिन्हित शीर्ष 66 माफियाओं में अभियुक्त मुनीर के विरुद्ध उसके न्यायालय में निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित न होने के कारण धारा 174ए के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें वादी श्री राजकुमार शर्मा तत्कालीन थानाध्यक्ष, थाना स्योहारा रहे हैं तथा मामले की विवेचना उ0नि0 संदीप राज सिंह, थाना स्योहारा द्वारा की गई। मामले में न तो थानाध्यक्ष द्वारा तहरीर में इस तथ्य का उल्लेख किया गया

कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त मुनीर के विरुद्ध कब धारा 82 का आदेश जारी किया गया। थाना स्योहारा की जी0डी0 में कब उसकी प्रविष्टि की गई और किस दिनांक को द0प्र0सं0 की धारा 82 में विहित की गई रीति से उसकी तामीला अमल में लायी गई।

इसी प्रकार मामले के विवेचक द्वारा भी साक्ष्य संकलन के दौरान उक्त वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में न तो कोई अभिलेखीय साक्ष्य संकलित किया गया और न ही विवेचक द्वारा मौखिक कथन के समय न्यायालय द्वारा निर्गत किये गये आदेशिका को रखा गया। उक्त अभिलेखीय साक्ष्य को न्यायालय में साबित न होने के कारण न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि जो धारा 82 के तामीला की प्रक्रिया का उल्लेख अभियोजन द्वारा अपने कथानक में किया जा रहा है वह वास्तव में अमल में लायी गई है, यह संदेहास्पद है और न्यायालय द्वारा अभियुक्त मुनीर को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए धारा 174ए भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

उक्त प्रकरण की विवेचना धारा 174ए के सम्बन्ध में प्रदेश में की जा रही है विवेचनाओं के लिए समस्त विवेचकों हेतु आई–ओपनर की भांति है, जिसमें समस्त अभिलेखीय साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद भी वादी और विवेचक द्वारा की गई सामान्य त्रुटि से एक प्रदेश स्तर पर चिन्हित शीर्ष माफिया को न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया गया।

भा0द0सं0 की धारा 174ए में किसी अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किये जाने, उसकी विवेचना किये जाने तथा न्यायालय में सफल अभियोजन हेतु कौन–कौन से बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना है, इसके सम्बन्ध में समस्त विवेचकों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों को भली–भांति परिचित होना आवश्यक है।

भा0द0सं0 की धारा 174ए निम्नलिखित रूप से प्रावधानित की गई है – ***जो कोई द0प्र0सं0 1973 की धारा 82 की उप धारा (1) के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर हाजिर होने में असफल रहता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा और जहां उस धारा की उपधारा (4) के अधीन कोई ऐसी घोषणा की गई है, जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित किया गया है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने का भी दायी होगा।***

भा0द0सं0 की धारा 174ए के अध्ययन से स्पष्ट है कि उक्त धारा दो भागों में विभाजित की गई है :–

1. ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध धारा 174ए की कार्यवाही किया जाना, जिसके विरुद्ध न्यायालय का यह समाधान हो गया हो कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया है

और वह फरार हो गया है तथा न्यायालय द्वारा धारा 82 का उद्घोषणा पत्र जारी किये जाने के पश्चात् वह न्यायालय द्वारा निर्धारित किये गये स्थान व समय पर 30 दिवस के अन्दर हाजिर नहीं हुआ है।

2. ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध धारा 174ए की कार्यवाही किया जाना, जिसके द्वारा भा0द0सं0 की धारा 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459, 460 का अपराध कारित किया गया है और न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति को धारा 82(1) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत जारी की गई उद्घोषणा में निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित न होने के कारण उसे मफरूर अपराधी घोषित किया जा चुका है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धारा 174ए दो प्रकार के अपराधियों पर लागू होती है – प्रथम वे अपराधी जो धारा में वर्णित प्रथम भाग में आते हैं, ऐसे अपराधियों के लिए उक्त धारा में तीन वर्ष की सजा का प्राविधान किया गया है और द्वितीय वे अपराधी जो धारा के द्वितीय भाग के अन्तर्गत वर्णित अपराध कारित करते हैं और न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी हैं, इनके लिए उक्त धारा में सात वर्ष के कारावास के दण्ड का प्राविधान किया गया है। उक्त धारा संज्ञेय एवं गैर जमानतीय है।

भा0द0सं0 की धारा 174ए के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराये जाने और उसकी विधिक रूप से विवेचना किये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर मामले के वादी, विवेचक एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे किसी विधिक त्रुटि के कारण कोई शातिर अपराधी तकनीकी आधारों पर दोषसिद्धि से बच न सके :–

1. मामले में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभियुक्त जिसके विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 174ए का अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है, सक्षम न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध किस दिनांक को गैर जमानती अधिपत्र निर्गत किया गया। ऐसे गैर जमानतीय पत्र का तामीला किये जाने के सम्बन्ध में कौन–कौन से प्रयास किये गये और उनका इन्द्राज थाने की जी0डी0 व अन्य सुसंगत अभिलेखों में किया गया है अथवा नहीं।
2. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र के तामील न होने की स्थिति में सम्बन्धित विवेचक द्वारा किस तिथि को सक्षम न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरुद्ध द0प्र0सं0 की धारा 82 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया और किस तिथि को सक्षम न्यायालय द्वारा उद्घोषणा जारी की गई।

3. मामला भा0द0सं0 की धारा 174ए के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने से पूर्व न्यायालय द्वारा जारी की गई धारा 82(1) द0प्र0सं0 की आदेशिका का इंद्राज थाने की जी0डी0 में किस तिथि व समय को किया गया।

4. धारा 82(1) द0प्र0सं0 की उद्घोषणा का प्रकाशन धारा 82(2) में वर्णित रीति के अनुसार किया गया है या नहीं किया गया है अर्थात

–उद्घोषणा को उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा अपराधी सामान्य तौर पर निवास करता हो, किसी सहज दृष्य, स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी गई है,

–वह उस गृह या निवास स्थान के, जिसमें ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से निवास करता है, उसके किसी सहज दृष्य स्थान पर चस्पा की गई है,

–उसकी एक प्रति उस न्यायालय के सहज दृष्य स्थान पर चस्पा की गई है अथवा

–न्यायालय द्वारा निर्देशित किये जाने पर क्षेत्रीय प्रचलित दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कर दिया गया है।

–इस प्रकार से किये गये प्रकाशन की सूचना का उल्लेख केस डायरी में करते हुए उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय को आख्या के माध्यम से अवगत करा दिया गया है।

5. उद्घोषणा जारी होने की तिथि से 30 दिवस का समय व्यतीत हो चुका है और अभियुक्त निर्धारित समय व स्थान पर हाजिर नहीं हुआ है।

6. यदि मामला भा0द0सं0 की धारा 174ए के द्वितीय भाग से आच्छादित होता है तो यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे अपराधी के विरुद्ध अलग से जांचोपरान्त उसे मफरूर घोषित करने का आदेश जारी किया जा चुका है और उक्त मफरूर घोषित करने के आदेश का इंद्राज थाने की जी0डी0 में करते हुए थाना के मफरूर रजिस्टर एवं अन्य सुसंगत दस्तावेजों में इसकी प्रविष्टि कर दी गई है।

7. उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्धित सभी दस्तावेजी प्रतियां संकलित कर ली गईं तथा उन्हें केस डायरी का अंग बनाते हुए विवेचना पूर्ण की जाये और समस्त अभिलेखों सहित आरोप पत्र विचारण न्यायालय प्रेषित की जाये।

8. विचारण के दौरान जब कभी भी मामले के वादी अथवा विवेचक साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित हों तो उपरोक्त समस्त अभिलेखों को मूल अभिलेखों से साबित करायें तथा उस पर नियमानुसार प्रदर्श भी डाला जाये।

उपरोक्त के आलोक में आप सभी को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त विवेचनाधिकारियों एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के साथ गोष्ठी कर ऐसे अभियुक्त जिनके विरुद्ध गैर जमानती अधिपत्र और द0प्र0सं0 की धारा 82 के अन्तर्गत

उद्घोषणा की कार्यवाही अमल में लाये जाने के पश्चात् वह 30 दिवस के अन्दर निर्धारित स्थान व समय पर हाजिर नहीं होता है तो अनिवार्य रूप से भा0द0सं0 की धारा 174ए के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं से अवगत कराते हुए, ऐसे शातिर, भगोड़े, माफिया, जनपदीय टॉप–10 अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 सजकुमार विश्वकर्मा)

1. पुलिस आयुक्त

   कमिश्नरेट– लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज,

   आगरा, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद।

2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,

   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवायें), उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।